

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

छीतर बनाम् कानाराम वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 22/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
-------------	--	--

07.06.2018

वकील डिक्रीदार ने उपस्थित होकर इजराय पेश की। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना अपीलीय/अन्य किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.07.2018 को पेश हो।

Gm

17.06.2021

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 2556 दिनांक 13.07.2018 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

इफ्तखर इजराय
आदेश की पालना
में नामा. सं. -
2556/डि. -
13.7.2018 के
द्वारा अमल
दरामद किया गया
11.06.2021
(राजपैरोकार
ना. तहसीलदार)
श्रीमाधोपुर

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

